केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, मरू क्षेत्रीय परिसर,
श्रीगंगानगर रोड,बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर, राजस्थान

पत्रांकः 3(7)BK/2012/ दिनांकः 04.02.2014

निविदा प्रपत्र

1- निविदा जमा करने की अंतिम तिथिएवं समय	: दिनांक 01.03.2014 दोपहर 1.00 बजे
2- निविदा खोलने की अंतिम तिथि एवं समय	: दिनांक 01.03.2014 दोपहर बाद 3.00 बजे
3- अरनेस्ट राशि	: रू 10,000(रूपये दस हजार मात्र)
4- निविदा की मान्य अवधि	: 120 दिन
5- निविदा शुल्क	: रू.500/-

संस्थान परिसर के आवासीय परिक्षेत्र, मुख्य कार्यालय भवन, फार्म मेन गेट एवं फार्म प्रक्षेत्र की सुरक्षा कार्य का वार्षिक अनुबंध (जॉब कॉन्ट्रेक्ट) कार्य का विवरणः

१ इस कार्य हेतु सम्पूर्ण ठेके में छः ड्यूटी स्थल निम्नानुसार निर्धारित किये गये हैं जिन पर 24 घण्टे सुरक्षा कर्मी लगाना आवश्यक होगा।

क्रमांक ड्यूटी स्थल

अ. कॉलोनी मैन गेट से पूरा कॉलोनी एरिया ब. मुख्य कार्यालय भवन एवं प्रयोगशालायें स. फार्म एरिया मैन गेट

द. फार्म के अन्दर सभी भवन, प्रायोगिक शेड्स, लैब कॉम्पलेक्स, वर्कशॉप, केन्द्रीय भण्डार, क्वारेन्टीन शेड,फार्म स्टोर, सभी सेक्टरों की सुरक्षा व पूरे फार्म प्रक्षेत्र की तारबंदी व अन्य भवनों व उपकरणों आदि की सुरक्षा। नियत तीन स्थानों (i) लेबर हट्स (ii) मगरा ओपन कोरल (iii) कानासर की तरफ की तारबंदी व उसके आस पास का क्षेत्र

2- फार्म के अन्दर उगाई जाने वाली सभी फसलों से उत्पन्न अनाज, चारा, आदि को सम्बन्धित ठेकेदार मुख्य गेट से ही लेकर जाये, सुनिश्चित करना होगा। फार्म प्रक्षेत्र के अन्दर बाहरी व्यक्तियों को मुख्य गेट से प्रवेश सुनिश्चित करना होगा अन्य किसी स्थान से प्रवेश रोकना होगा। गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड को गेट के अन्दर आने जाने वाले सभी व्यक्तियों के नाम व पते तथा गाड़ियों के नम्बर मय चालक के नाम व उनमें रखे सामान का विवरण रजिस्टर में दर्ज करने होगें, तथा सुरक्षा अधिकारी को प्रति दिन चैक करवा कर उस पर हस्ताक्षर करवाने होंगें।

3- फार्म के अन्दर खडे वृक्षों जैसे खेजडी, नीम, कीकर आदि को अवांछित व्यक्तियों से बचाना होगा। पेड़ काटकर ले जाने, चोरी हो जाने की स्थिति में नुकसान की भरपाई ठेकेदार के बिल से की जायेगी। इसके साथ-साथ वन नियमों के अन्तर्गत निर्धारित किये गये दण्ड/जुर्माने के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा।

4- फार्म की बाहरी व अन्दर की तार बंदीयों का रखरखाव करना होगा व अतिरिक्त श्रमिक लगाकर समय-समय पर इनकी मरम्मत करवानी होगी। जिसके लिए सामग्री जैसे तार आदि संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

5- फार्म के अन्दर सभी प्रायोगिक शेड प्रयोगशालाओं, सेक्टरों आदि पर किसी भी अवांछित व्यक्ति व जानवरों का प्रवेश रोकना होगा। यदि कोई अवांछित व्यक्ति घुमता हुआ पाया जाता है तो उसे तुरन्त फार्म से बाहर निकालना होगा। फार्म प्रक्षेत्र के अन्दर किसी भी वारदात जैसे चोरी आदि की घटना होने पर उसकी प्राथमिक सूचना रिपोर्ट निकटतम थाने में जाकर ठेकेदार को स्वयं करानी होगी। साथ ही घटना की सूचना सिक्योरिटी प्रभारी को देनी होगी। किसी प्रकार की हानि/ सामान की चोरी इत्यादि की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी और उसकी वसूली ठेकेदार से की जायेगी।

6- यदि कोई अवांछित पशु जैसे सुअर, गाय, नीलगाय, भैंस, गधा, कुत्ता आदि फार्म एरिया में पाया जाता है तो प्रति जानवर 50 रूपये इस कार्यालय में जमा कराने होंगे (अन्यथा यह राशि ठेकेदार के बिल में से काट ली जायेगी) तत्पश्चात जानवर तुरन्त निर्देशित फाटक में स्वयं के खर्चे पर पहुंचाने होगें और उसकी रसीद सुरक्षा प्रभारी के कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

७. सक्षम अधिकारी द्वारा किसी भी समय (रात्रि अथवा दिन में) जॉच पर जाते समय मांगे गये सुरक्षा गार्ड साथ भेजना अनिवार्य होगा तथा अनुशासन बनाये रखना होगा। यदि कहीं पर अनुशासनहीनता परिलक्षित होती है तो सम्बन्धित अधिकारी किसी भी प्रकार का दण्ड/ अनुबंध समाप्ति /कटौती के लिये स्वतंत्र होंगे। ठेकेदार की किसी भी सफाई पर विचार नहीं किया जायेगा।

8. कार्यालय बंद होने के तुरन्त बाद सुरक्षा कर्मचारी सभी भवनों व गेट आदि पर लगे तालो की जॉच कर प्रभारी सुरक्षा अनुभाग को सूचित करेगा। रात्री 10.00 बजे से प्रातः 6 बजे तक सुरक्षा पर्यवेक्षक गस्ती पर रहेगा व सभी भवनों व गेटों के तालों की जॉच करेगा।

9. यदि संस्थान का कोई भी कर्मचारी/ अधिकारी कार्यालय समय के पहले/बाद में/अवकाश के दिन कार्यालय में आता है तो उससे सुरक्षा रक्षक रजिस्टर में आने व जाने के समय की तथा कार्यालय में आने के प्रयोजन आदि का इन्द्राज करवायेगा।

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैनें निविदा में दर्शायी गई सभी नियम व शर्तें भली-भांति पढ ली है तथा मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार है। साथ ही मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझे व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त निविदा प्रपत्र में दर्शाये गये कार्यो का पूर्ण ज्ञान है।

उपरोक्त सभी कार्यों हेतु मेरी दर रूपये ___________(अक्षरे रूपये_______________ ___ ___ ____________) प्रति माह होगी।

हस्ताक्षर निविदा प्रस्तुतकर्ताः________________

नामः________________

मोबाईलः________________

नियम एवं शर्तेः-

1. अनुबंध की अवधि दिनाक 1.4.2014 से 31.3.2015 तक होगी परन्तु कार्य संतोषजनक रहने पर अगले वित्तीय वर्ष के लिए बढाया जा सकता है। संतोषजनक कार्य नहीं होने पर अनुबंध कभी भी बिना पूर्व सूचना के रद्ध किया जा सकता है।

2 सफल निविदादाता का आकलन समिति द्वारा निविदाताओं द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर उनकी प्रतिष्ठा, कार्य अनुभव के अनुसार किया जायेगा। समिति जिस पार्टी को अनुबंध देने की सिफारिश करती है, उसे सफल निविदादाता माना जायेगा और उस पार्टी को कार्यालय से सूचना मिलते ही तीन दिन के अन्दर 10% धरोहर राशि नगद कार्यालय में जमा करानी होगी अन्यथा जमा अग्रिम राशि जब्त कर ली जायेगी। धरोहर राशि सफल निविदादाता द्वारा अनुबंध संतोषजनक पूर्ण होने के बाद ही लौटाई जायेगी अन्यथा जब्त कर ली जायेगी।

3 निविदादाता को राजस्थान सरकार के द्वारा जारी "दी राजस्थान प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सीज (विनियम) अधिनियम 2005" के अन्तर्गत लाईसेंस शुदा होना अनिवार्य होगा। फर्म को संस्थान परिसर की सुरक्षा हेतु लगाये जाने वाले कर्मियों में भूतपूर्व सैनिक/अर्धसैनिक बल को वरीयता देनी होगी।

4. अनुबन्ध कर्ता कार्य स्वयं निस्पादित कराऐगें। किसी अन्य एजेन्सी को पेटी ठेका कार्य नहीं सोपेगें यदि ऐसा पाया जाता है तो अनुबन्ध रद्ध कर दिया जायेगा, तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

5. एग्रीमेन्ट में वर्णित सभी शर्तो / नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा अन्यथा अनुबंध बिना पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकता है।

6. सुरक्षा गार्ड को सम्पूर्ण वर्णित क्षेत्र में मय नाम, वर्दी, सीटी, टार्च एवं लाठी के साथ लगाना अनिवार्य होगा।

7. प्रत्येक दिन अनुबंधकर्ता को अपने कार्य की रिपोर्ट प्रभारी सुरक्षा को पेश करनी होगी।

8. ठेकेदार को श्रम कानूनों व न्यूततम मजदूरी अधिनियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। सुरक्षा कर्मियों/सुपरवाईजर को भुगतान की जानकारी (acquaitance roll) की एक प्रति कार्यालय को प्रति माह बिल के साथ आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी। इस सम्बन्ध में किसी भी विवाद की जिम्मेदारी ठेकेदार की ही होगी।

9. अनुबंधकर्ता को ह्रष्ट पुष्ट सुरक्षा कर्मियों को सुरक्षा हेतु लगाना होगा। सुरक्षा गार्डो को परिचय पत्र बनवाकर देने होंगे। जो गार्डों को ड्युटी के दौरान हमेशा अपने पास रखना होगा। किसी भी गार्ड की उम्र 18 वर्ष से कम व 45 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिये।

10. सुरक्षा गार्ड हिन्दी व सम्भव हो तो अंग्रेजी भाषा लिखने व बोलने की क्षमता रखते हों।

11. ठेकेदार को सुरक्षा कार्य पर लगाये जाने वाले सुरक्षा पर्यवेक्षक व गार्ड का सम्पूर्ण बायोडाटा फार्म मय सत्यापित फोटो परिचय पत्र व टेलीफोन/मोबाईल नम्बर के साथ कार्यालय में ठेका प्रारम्भ होने से पूर्व जमा कराना होगा।

12. ठेकेदार द्वारा उचित सुरक्षा रक्षकों को नहीं लगाये जाने पर, नियमों का पालन न करने पर और कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर या लापरवाही महसूस होने पर सक्षम अधिकारी का ठेकेदार की सिक्योरिटी राशि तथा बकाया भुगतान जब्त कर अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा। सुरक्षा गार्ड प्रतिदिन एक ही पारी (8 घण्टे की) पर कार्य करेगा। दो पारियों की ड्यूटी की अनुमति नहीं दी जायेगी। कोई भी सुरक्षा गार्ड तब तक ड्यूटी नहीं छोड़ेगा जब तक दूसरा गार्ड ड्यूटी पर नहीं आ जाता है। अर्थात किसी भी स्थान पर एक सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी एक दिन में 8 घण्टे से ज्यादा नहीं होगी। सुरक्षा कर्मी को नशे की हालत में ड्यूटी देने की अनुमति नहीं होगी। यदि फर्म द्वारा कार्यादेश में वर्णित नियमों के अनुसार सुरक्षा कर्मी उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो उस अवस्था में रू.500/- प्रति दिन प्रति सुरक्षा गार्ड के हिसाब से कटौती की जायेगी।

13. सुरक्षा का विशेष मूल्यांकन समय समय पर प्रभागाध्यक्ष द्वारा गठित निरीक्षण दल द्वारा किया जायेगा उसकी रिपोट के आधार पर ही भुगतान किया जायेगा। शिकायत प्राप्त होने पर बिल एवं धरोहर राशि से कटौती की जायेगी या अनुबन्ध रद्ध करने की कार्यवाही भी की जा सकती है। संस्थान को किसी भी प्रकार की उक्त अनुबंध से होने वाली हानि की भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।

14. ठेकेदार द्वारा प्रति माह भुगतान के लिए प्रस्तुत बिल पर पेन नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा। ठेकेदार के बिल में से नियमानुसार आयकर की कटौती की जावेगी। कार्य संतोषजनक होने पर ही बिल का भुगतान 30 दिवस में किया जाएगा।

15. सुरक्षा गार्ड इस संस्थान में कार्यरत किसी भी कर्मचारी का सम्बन्धी न हो।

16. सुरक्षा गार्ड स्वच्छ वेशभूषा व पहचान पत्र के साथ ही ड्यूटी पर रहे।

17. सुरक्षा पर्यवेक्षक सभी रजिस्टर व रिकार्ड का रखरखाव करेगा।

18. सुरक्षा कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका रखी जायेगी व अवकाश अवधि के समय की वैकल्पिक व्यवस्था की जाये जिसकी सूचना कार्यालय को समय पर दी जाये।

19. निविदा के साथ रूपये 10,000/- अरनेस्ट राशि बतौर डिमाण्ड ड्राफ्ट CSWRI UNIT ARC, Bikaner के पक्ष में तथा पंजाब नेशनल बैंक बीछवाल शाखा, बीकानेर में भुगतान योग्य हो, निर्धारित तिथि एवं समय तक क्रय एवं भण्डार अनुभाग में रखे टेण्डर बॉक्स में डालना होगा अथवा पंजीकृत डाक द्वारा स्वीकार किए जाएंगे। यदि निविदा प्रपत्र बेवसाइट से लिया जाता है तो निविदा प्रपत्र का शुल्क रू.500/- का अलग डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न किया जाना आवश्यक है। अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

20. **संस्थान को कोई भी टेण्डर स्वीकार या रद्ध करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।**

21. निदेशक/ प्रभागाध्यक्ष के द्वारा अनुबंध करने/ जारी रखने/ बिना पूर्व सूचना के रद्ध करने का पूर्ण अधिकार भी सुरक्षित होगा तथा उक्त संदर्भ में लिये गये प्रत्येक निर्णय की पालना ठेकेदार को करनी होगी।

4/2/14

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

उपरोक्त सभी नियम व शर्ते मुझे मंजूर हैं। इन्हे मैंने अच्छी तरह पढ़ एवं समझ लिया है।

हस्ताक्षर निविदा प्रस्तुतकर्ताः________________

नामः________________

मोबाईलः________________